प्रेस विज्ञप्ति
06.08.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बैंक धोखाधड़ी तथा मैसर्स दीपक केबल (इंडिया) लिमिटेड (डीसीआईएल), इसके प्रबंध निदेशक के. वेंकटेश्वर राव, निदेशक श्रीमती सत्यवती बाल तथा उनसे संबद्ध संस्थाओं द्वारा ऋण निधियों के अपवर्तन एवं गबन से संबंधित मामले में लगभग 51.28 करोड़ रुपये (जिसका बाजार मूल्य लगभग 150 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक है) मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने धन शोधन संबंधी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), बीएस एंड एफबी, बेंगलुरु द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर प्रारंभ की। अनुसूचित अपराध आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, कूटरचना, कूटरचित दस्तावेजों के उपयोग तथा आपराधिक कदाचार से संबंधित हैं, जिनके परिणामस्वरूप बैंकों के संघ (कंसोर्टियम) को अनुचित वित्तीय हानि हुई।

पीएमएलए के तहत जांच से पता चला कि मैसर्स डीसीआईएल तथा इसके प्रवर्तकों ने हेरफेर किए गए वित्तीय विवरण, बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किए गए स्टॉक विवरण तथा झूठे देनदार विवरण प्रस्तुत कर बैंकों के संघ से विभिन्न ऋण सुविधाएं धोखाधड़ीपूर्वक प्राप्त कीं तथा उनका लाभ उठाया। जांच में यह भी स्थापित हुआ कि आरोपियों ने मैसर्स सूर्य ट्रांसमिशन लिमिटेड, मैसर्स आधुनिक पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, मैसर्स डांडेली फेरो प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स शरावती कंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स वेंकटेश इंडस्ट्रीज, मैसर्स मारुति इंजीनियरिंग वर्क्स, मैसर्स यूनिवर्सल ट्रांसमिशन लाइन प्रोडक्ट्स, मैसर्स केजीएन इलेक्ट्रिकल्स तथा अन्य संबद्ध संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से वस्तुओं की वास्तविक आवाजाही के बिना काल्पनिक बिक्री एवं खरीद लेनदेन दर्शाकर बैंक ऋण निधियों का अपवर्तन एवं गबन किया।

ऋण की राशि का आगे उपयोग स्वीकृत ऋण उद्देश्यों से भिन्न प्रयोजनों के लिए किया गया, जिसमें संबद्ध संस्थाओं के माध्यम से निजी इक्विटी निवेशकों से इक्विटी शेयरों की बाय-बैक तथा परिसंपत्तियों का अर्जन भी शामिल है।

पूर्व में, ईडी ने पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत आरोपियों एवं उनके सहयोगियों से संबंधित विभिन्न परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया था, जिसके दौरान अनेक आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण तथा अभिलेख जब्त किए गए। इसके उपरांत, के. वेंकटेश्वर राव को दिनांक 02.06.2026 को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया तथा उन्हें ईडी की अभिरक्षा में भेजा गया। जांच के दौरान पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत अनेक आरोपियों, बैंक अधिकारियों तथा अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए।

पीएमएलए के तहत जांच में आगे यह भी पता चला कि अपराध की आय से प्रत्यक्ष रूप से अर्जित संपत्तियों के साथ-साथ आरोपियों, उनके परिवार के सदस्यों तथा संबद्ध संस्थाओं के नाम पर धारित समतुल्य मूल्य की संपत्तियों की भी पहचान की गई। चूंकि अपराध की आय का एक बड़ा भाग लेयरिंग, अपवर्तन अथवा अन्य कारणों से प्रत्यक्ष रूप से पता नहीं लगाया जा सका, इसलिए अपराध की आय को सुरक्षित रखने तथा समपहरण की कार्यवाही को निष्फल होने से रोकने के उद्देश्य से पीएमएलए के प्रावधानों के तहत समतुल्य मूल्य की संपत्तियों को भी अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है।

आगे की जांच जारी है।